कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.

क्रमांकGPR/पेपर/5/4/0002/2022/ 1090 **भोपाल, दिनांक** 17/05/2022

निविदा सूचना

पंचायत आम निर्वाचन-2022 हेतु भिन्न-भिन्न आकार एवं रंगों के लिफाफे निर्धारित विवरण के 80 जीएसएम पेपर पर मुद्रण, बंधन (बाईडिंग), परिवहन सहित तैयार कर प्रदाय हेतु लिफाफा निर्माताओं से आई.टी. विभाग की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से ऑनलाईन की-डेट्स अनुसार दरें आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 24-5-2022 को अपरान्ह 2:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी।

2. ऑनलाईन निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3. सूचना, तकनीकी विविरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर भी अवलोकन हेतु रखा गया है।

4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचनाwww.mptenders.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.

Key Dates and Time

1.	Bid closing & last date & time for submission on online Bids	: 23-5-2022 upto 1.00 pm.
2.	Last Date & time for submission of Hard Copy of technical Bids and	: 24-5-2022 upto 1.00 pm.
3.	Online Opening of the Technical Bid / pre-qualification and Hard Copy of the Technical Opening.	: 24-5-2022 upto 2.00 pm.

तकनीकी विवरण एवं शर्तें

स०क्र०	सामग्री का नाम	संख्या	विवरण
1	2	3	4
1	मतपत्र लेखा एवं प्रारंभिक गणना का परिणाम (प्रारूप-15) का लिफाफा क्रमांक-5	1,58,000 नग	साईज : 11½" X 5" फ्लैप 1", पेपर : 80 जीएसएम क्राफ्ट (ब्राउन) नमूनें अनुसार लिफाफें पर मेटर ब्लेक इंक में मुद्रित होगा, पैकिंग:200लिफाफें पैक करना होगा।
2	गणना का परिणाम पत्र रखने के लिए प्रारूप17 लिफाफा क्रमांक-6	1,58,000 नग	साईज : 19½" X 11" फ्लैप 1", पेपर : 80 जीएसएम सफेद नमूनें अनुसार लिफाफें पर मेटर ब्लेक इंक में मुद्रित होगा, पैकिंग:200लिफाफें पैक करना होगा।
3	रदद् किये गये मतपत्रो के लिये लिफाफा क्रमांक 7	1,58,000 नग	साईज : 12" X 5" फ्लैप 1", पेपर : 80 जीएसएम क्राफ्ट (ब्राउन) नमूनें अनुसार लिफाफें पर मेटर ब्लेक इंक में मुद्रित होगा, पैकिंग:200लिफाफें पैक करना होगा।
4	उपयोग में लाये गये मतपत्रो के प्रतिपर्णो के लिये लिफाफा क्रमांक 8	1,58,000 नग	साईज : 16½" X 11" फ्लैप 1", पेपर : 80 जीएसएम क्राफ्ट (ब्राउन) नमूनें अनुसार लिफाफें पर मेटर रेड इंक में मुद्रित होगा, पैकिंग:200लिफाफें पैक करना होगा।
5	मतदाताओं को जारी ना किये गये मतपत्रो के लिये लिफाफा क्रमांक 9	1,58,000 नग	साईज : 16½" X 9½" फ्लैप 1", पेपर : 80 जीएसएम क्राफ्ट (ब्राउन) नमूनें अनुसार लिफाफें पर मेटर रेड इंक में मुद्रित होगा, पैकिंग:200लिफाफें पैक करना होगा।
6	पुनर्मतगणना के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र और उनके संबंध में पारित आदेश सूची के साथ साथ का लिफाफा	80,000 नग	साईज : 11" X 5" फ्लैप 1", पेपर : 80 जीएसएम क्राफ्ट (ब्राउन) नमूनें अनुसार लिफाफें पर मेटर ब्लेक इंक में मुद्रित होगा, पैकिंग: 200 लिफाफें पैक करना होगा।

7	मतपत्र से मतदान से संबंधित विविध कागजत का लिफाफा (समस्त पद हेतु)	1,58,000 नग	साईज : 11" X 5" फ्लैप 1", पेपर : 80 जीएसएम क्राफ्ट (ब्राउन) नमूनें अनुसार लिफाफें पर मेटर ब्लेक इंक में मुद्रित होगा, पैकिंग:200लिफाफें पैक करना होगा।
8	गणना किये गये मतपत्रो के बंडल के लिये लिफाफा क्रमांक 2 (द्वितीय पैकेट)	1,58,000 नग	साईज : 19½" X 11" फ्लैप 1", पेपर : 80 जीएसएम पिंक (गुलाबी) नमूनें अनुसार लिफाफें पर मेटर ब्लेक इंक में मुद्रित होगा, पैकिंग:200लिफाफें पैक करना होगा।

1. लिफाफों में 80 जीएसएम मशीन फिनिशज्ड मेपलिथो पेपर सफेद, पिंक (गुलाबी) एवं क्राफ्ट (ब्राउन) पेपर का उपयोग होगा। नमूनें अनुसार लिफाफों पर मेटर का मुद्रण करना होगा। पेपर क्रमश: आई.एस. मानक 6956/2001 तथा आई.एस. मानक 1397/1990 अद्यतन संशोधन के साथ का उपयोग करना होगा। प्रूफ अनुमोदन विभाग से कराने हेतु कार्यादेश प्राप्ति के 02 दिवस के अन्दर 3 सेम्पल प्रस्तुत करना होगा। पूर्ण मात्रा की सामग्री सेम्पल अनुमोदित होने की तिथि से **07** दिवस के अन्दर अनिवार्यत: मुद्रित कर लिफाफों को उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड़, भोपाल को प्रदाय करना होगा। देयक तीन प्रतियों में नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल के पक्ष में तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

1.1 मुद्रण : संलग्न नमूनें लिफाफें अनुसार मेटर मुद्रित करना होगा।

1.2 पैकिंग : 200-200 लिफाफों को बांधकर वांछित आकार के कार्टून में पैक कर प्रदाय करना होगा।

2. निविदा प्रपत्र राशि रूपये 1,000=00 एवं प्रोसेसिंग फीस/सर्विस टैक्स का भुगतान ऑनलाईन किया जाकर निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

3. ई.एम.डी. की राशि रूपये 25,000=00 का ऑनलाईन भुगतान आई.टी. डिपार्टमेन्ट के पोर्टल से कराना होगा।

4. यदि प्रदाय की गई सामग्री निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्त के अनुसार नहीं पाई गई अथवा किसी भी कारण से खराब अथवा उपयोग योग्य नहीं पाई गई तो ऐसी समस्त सामग्री मुद्रक को वापस लेना होगी तथा उसके स्थान पर निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार सामग्री मुद्रण कर प्रदाय करना होगा। इस संबंध में होने वाला समस्त व्यय मुद्रक को ही वहन करना पडेगा।

5. फर्म का स्थापना रजिस्ट्रेशन संलग्न करना होगा।

6. फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन संलग्न करना होगा।
7. फर्म का पैन नम्बर संलग्न करना होगा।
8. फर्म पेपर नमूनों पर जी.एस.एम., पेपर मिल का नाम उल्लेख करते हुए प्रिटिंग मशीन एवं लिफाफा मेकिंग मशीन स्थापना के प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेज, हस्ताक्षर सहित शर्तों पर सहमति की-डेट्स अनुसार अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा उसी दिनांक 24-5-2022 को अपरान्ह 2.00 बजे उपस्थिति निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष ऑनलाईन पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी एवं हार्डकापी को खोला जावेगा।
9. सफल निविदाकार को इस कार्यालय से सूचना प्राप्ति के 2 दिवस के अन्दर कुल मुद्रण राशि की 10% राशि का एफ.डी.आर. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल के पक्ष में 6 (छः) माह की अवधि के लिए प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा कर तत्काल अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
10. प्रदाय में विलम्ब होने की स्थिति में प्रति दिवस 1% तक की शास्ति आगामी 07 दिवस तक अधिरोपित की जावेगी। इसके पश्चात सामग्री प्राप्त नहीं की जावेगी।
11. शासन द्वारा समय-समय पर जारी भुगतान संबंधी प्रतिबंधों या अपरिहार्य परिस्थिति आने के कारण यदि भुगतान में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है, तो लम्बित भुगतान पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
12. मुद्रक को प्रिटं लाईन संक्षिप्त में विभाग के अनुमोदन अनुसार अंकित करना होगा।
13. सामग्री लिफाफों की मात्रा में 20% तक की कमी-वृद्धि की जा सकेगी।
14. सामग्री का प्रदाय उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को प्रदाय किया जाना है। सरल क्रमांक 1 से 8 तक की सामग्री को 200-200 के बण्डल बांधकर एक समान कार्टून में पैकिंग कर प्रदाय करना होगा। मुद्रक द्वारा सामग्री की आपूर्ति उपरान्त देयक का भुगतान नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल द्वारा सीधे मुद्रक को किया जायेगा।
15. यह निविदा आमंत्रण किसी प्रकार का कार्यादेश नहीं है। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल का होगा।
16 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अनुबन्ध के प्रावधानाके के अन्तर्गत प्रकरण प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को भेजा जावेगा और उनके निर्णय को दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा। आर्बीट्रेशन एवं काउंसिलिएशन एक्ट मध्यप्रदेश मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.